रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 55] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 57(अ).—जबकि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961 (1961 का 11) की धारा 28 की उप-धारा (i) द्वारा यथापेक्षित प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963 को अन्य नियमों के साथ और संशोधित करने के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का प्रारुप प्रकाशित कर दिया गया था और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अन्तर्गत इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 23 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारुप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

इसलिए, केन्द्रीय सरकार अब उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) संशोधन नियम, 2019 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963 में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(16) **वार्षिक विवरणी-** प्रत्येक खान या सर्कस का नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र–X में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परन्तु यह कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक इलैक्ट्रॉनिक रुप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रॉनिक रुप" शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) है।

(2) यदि एक खान या सर्कस जिसको अधिनियम लागू होता है, का नियोजक खान या सर्कस का विक्रय करता है, परित्याग करता है या बंद करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे विक्रय या परित्याग की तारीख से एक मास के भीतर या इस प्रकार बंद करने की तारीख से चार मास के भीतर केन्द्रीय सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के अंत और विक्रय या परित्याग या बंद करने की तारीख से मध्य की अवधि के संबंध में उपनियम (i) में निर्दिष्ट प्रारूप–X में और एकीकृत विवरणी ऑनलाइन अपलोड करेगा।

[सं. जेड-20025/23/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.1642 द्वारा तारीख 05 अक्टूबर, 1963 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.435 (अ) के अनुसार तारीख 29 मई, 2015 को संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 57(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules 1963, among other rules, were published as required by sub-section (1) of section 28 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963, namely:-—

1. (1) These rules may be called the Maternity Benefit (Mines and Circus) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:—

'16. Annual return.- (1) The employer of every mine or circus shall, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in Form X online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(2) If the employer of a mine or circus to which the Act applies sells, abandons or discontinues the working of the mine or circus, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, a further unified return in Form X referred to in sub-rule (1) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.'.

[No. Z-20025/23/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963 was published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R.1642, dated the 5th October, 1963 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.435(E) dated the 29th May, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.31 10:22:34 +05'30'